संख्या-18/2022/718/60-1-22-1/13(141)/17

प्रेषक,

सुनील कुमार यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उप सचिव,
उ0प्र0 लोक सेवा आयोग,
प्रयागराज।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 01 अगस्त 2022**

विषयः- जिला परिवीक्षा अधिकारी के रिक्त पद पर पदोन्नति कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक् अपने पत्र संख्या-7(2)/1/पी./एस-4/2021-22, दिनांक 21.01.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जिला परिवीक्षा अधिकारी के रिक्त पदों पर प्रोन्नति हेतु चयन समिति की संस्तुति उपलब्ध करायी गयी है। आयोग की उक्त संस्तुति में कतिपय कार्मिकों के संबंध में "लिफाफा बन्द, पद आरक्षित" किये जाने का उल्लेख है।

2- परिवीक्षा अधिकारी/केस वर्कर संवर्ग में चयन वर्ष 2020-21 में ज्येष्ठता क्रमांक-32 पर अंकित श्री बच्चा लाल यादव, के संबंध में "लिफाफा बन्द, पद आरक्षित" किये जाने की संस्तुति आयोग द्वारा की गयी है।

3- उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी निदेशालय, महिला कल्याण के पत्र दिनांक 26.07.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री बच्चा लाल यादव के विरूद्ध प्रचलित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही को निदेशालय के आदेश संख्या-846-52/निदे0म0क0/स्था0/2022-23, दिनांक 08.07.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा बिना किसी दण्ड के समाप्त किया गया है। वर्तमान में श्री बच्चा लाल यादव के विरूद्ध कोई विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित/लम्बित नहीं है।

4- उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत परिवीक्षा अधिकारी/केस वर्कर संवर्ग में श्री बच्चा लाल यादव का बन्द लिफाफा खोलते हुये प्रोन्नति हेतु चयन समिति की संस्तुति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(सुनील कुमार यादव)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in